डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)
(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखंड अधिकारी सीमलवाडा श्री राकेश कुमार न्योल

प्रकरण संख्या– 21/2024 रेवेन्यु

कन्हैयालाल बनाम भगवान वगैरह

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 राटीएक्ट व धारा 136 भू. रा. अ

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू:– श्री राकेश कुमार न्योल
व हाजरी:–

श्री विरेन्द्रसिंह चौहान मिनजानिब मुदई उपस्थित व श्रवण रावल मिनजानिब मुदायलाह की ओर, कार्यवाही का होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि–

ग्राम मेरोप में खाता संख्या 39, खसरा नम्बर 355, 356, 357, 358, 374, 375, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 508, 602, 611, 618, 623, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81 कुल खेत किता 29, कुल रकबा 3.5372 हैक्टेयर में हिस्सा में वादी का नाम ककु पिता गला दर्ज कर दिया गया है ऐसे में वादी का नाम शुद्धिकरण कर कन्हैयालाल पिता गला नाम दर्ज कर शुद्ध किया जाने आदेश किया जाता है।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 15.07.2024 को जारी की गई

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी . . . .
ओहदा सीमलवाडा . . . .

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर
सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राजस्थान

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार न्योल

प्रकरण सख्याः–21 / 2024 रेवेन्यु

निर्णय दिनांकः–15.07.2024

1 श्री कन्हैयालाल पिता गला जाति भील निवासी मेरोप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

वादी

बनाम

1 श्री भगवान पिता गला जाति भील निवासी मेरोप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

2 श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 राजस्थानी काश्तकार अधिनियम व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादीः– विरेन्द्रसिंह चौहान उपस्थित

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी व प्रतिवादी गांव मेरोप तहसील सीमलवाडा के स्थायी निवासी है। वादी व प्रतिवादी अपने कब्जे काश्त की भुमि पर कृषि कार्य करने अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादी एवं अन्य सहखातेदार के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भुमि ग्राम मेरोप में खाता संख्या 39, खसरा नम्बर 355, 356, 357, 358, 374, 375, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 508, 602, 611, 618, 623, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81 कुल खेत किता 29, कुल रकबा 3.5372 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। जिस पर वादी, प्रतिवादी व अन्य सहखातेदार संयुक्त रुप से काबीज है। वाद कारण वादी ने अपने हिस्से पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ लेने हेतु वादी ने अपने खाते की नकले निकलवायी तो जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी मे वादी का नाम ककु दर्ज कर दिया गया है। जिस पर वादी ने पटवारी से मिलकर मुलपुरुष गला के फोत हो जाने पर विरासती भुमि के खोले गए नामान्तरण के समय राजस्व कर्मचारीयों ने वादी का नाम कन्हैयालाल के स्थान पर ककु नाम दर्ज कर दिया था। जबकि वादी के सभी पहचान के दस्तावेजों आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, बैक खाता डायरी, राशन कार्ड में वादी का नाम कन्हैयालाल अंकित है। ऐसे में वादी ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम संशोधित करने को लेकर निवेदन करने के बावजुद भी नाम संशोधित करने का क्षैत्राधिकार नहीं होने की बातकर मना कर दिया गया है जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ जिससे वादी वाद प्रस्तूत करना आवश्यक हो गया है जो म्याद अवधि में पेश है। जरीये इन्द्राज दुरूस्ति वादी, प्रतिवादी व अन्य सहखातेदार के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भुमि ग्राम मेरोप में खाता संख्या 39, खसरा नम्बर 355, 356, 357, 358, 374, 375, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 508, 602, 611, 618, 623, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81 कुल खेत किता 29, कुल रकबा 3.5372 हैक्टेयर में हिस्सा मे वर्तमान में दर्ज नाम ककु के बजाय कन्हैयालाल दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलबी नोटिस भेजे गए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उपस्थित होकर जवाब देकर अंकित किया है कि ककु पिता गला के बजाय कन्हैयालाल पिता गला नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने पर कोई आपती नहीं है।

क्रमशः पेज 2 पर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया वादी का वास्तविक नाम कन्हैयालाल पिता गला है। वादी के राजकीय दस्तावेजों में भी वादी का नाम कन्हैयालाल पिता गला दर्ज अंकित है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसे वाद स्वीकार कर डिकी किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, अन्य दस्तावेजों, पत्रावली एवं तहसीलदार की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम कन्हैयालाल पिता गला होना पाया गया है। उस अनुसार वादी के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी ग्राम मेरोप में खाता संख्या 39, खसरा नम्बर 355, 356, 357, 358, 374, 375, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 508, 602, 611, 618, 623, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81 कुल खेत किता 29, कुल रकबा 3.5372 हैक्टेयर में हिस्सा में वादी का नाम ककु पिता गला दर्ज कर दिया गया है ऐसे में वादी का नाम शुद्धिकरण कर कन्हैयालाल पिता गला नाम दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है।

आदेश

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की आराजी ग्राम मेरोप में खाता संख्या 39, खसरा नम्बर 355, 356, 357, 358, 374, 375, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 508, 602, 611, 618, 623, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81 कुल खेत किता 29, कुल रकबा 3.5372 हैक्टेयर में हिस्सा में वादी का नाम ककु पिता गला दर्ज कर दिया गया है ऐसे में वादी का नाम शुद्धिकरण कर कन्हैयालाल पिता गला नाम दर्ज कर शुद्ध किया जाने आदेश किया जाता है। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner